

Storage of Oxygen Cylinders during Covid-19

427. SH. NEERAJ SHARMA, MLA: Will the Health Minister be pleased to state:-

1. Whether it is a fact that 54 Oxygen Cylinders have been confiscated by the Government in Sector-31, Faridabad on dated 03.05.2021 when the Corona was on its high Peak.
2. Whether it is also a fact that the said Cylinder have been sent to Badshah Khan Hospital, Faridabad; if so, instruction /rule under which the said cylinders have been sent to the above said hospital together with the action taken by the Government in the matter; and
3. Whether the oxygen cylinder could be stored at the time of prevalence of corona on its High Peak; if so, the details thereof?

Storage of Oxygen Cylinders during Covid-19

ANIL VIJ, HEALTH MINISTER

1. No Sir, no Oxygen Cylinders were confiscated from Sector-31, Faridabad on 03-05-2021, when the corona was on its high peak.
2. Yes, it is a fact that M/s Seth Air Products has supplied 30 oxygen Cylinders to B.K. Hospital, Faridabad being its supplier on rate contract.
3. The firm is possessing valid Wholesale Drug License, hence, it is eligible to store the Medical Oxygen Cylinders as per provisions of Drugs and Cosmetic Act, 1940.

कोविड -19 के दौरान मैडीकल आक्सीजन सिलेण्डर के भण्डारण बारे

प्रश्न:- 427 श्री नीरज शर्मा, विधायक, फरीदाबाद;

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायें कि :-

1. क्या यह सच है कि सरकार द्वारा सैक्टर 31 फरीदाबाद से दिनांक 03.05.2021 को 50 आक्सीजन सिलेण्डर जब्त किये गये थे जबकि कोरोना अपने चरम पर था?
2. क्या यह भी सच है कि उक्त सिलेण्डर बादशाह खान हस्पताल में भेजे गये हैं, यदि ऐसा है तो किन नियमों / हिदायतों के तहत सिलेण्डर उपरोक्त हस्पताल में भेजे गये, सरकार द्वारा इस मामले में की गई कार्यवाही सहित बताये?
3. क्या कोरोना की व्यापकता के चरम पर आक्सीजन सिलेण्डर स्टोर किये जा सकते हैं, यदि ऐसा है तो विवरण दे?

अनिल विज, स्वास्थ्य मन्त्री

1. नहीं, श्रीमान जी दिनांक 03.05.2021 को सैक्टर-31, फरीदाबाद से कोई आक्सीजन सिलेण्डर जब्त नहीं किये गये थे, जब कोरोना अपने चरम पर था।
2. हाँ, यह सत्य है कि फर्म सेठ एयर प्रोडक्स ने 30 आक्सीजन सिलेण्डर बी0 के0 हस्पताल, फरीदाबाद को रेट कॉन्ट्रैक्ट दर पर भेजे गये हैं।
- 3- फर्म के पास वैध थोक दवा लाईसेंस है, इसलिए यह औषधि एवं प्रशासन अधिनियम, 1940 के तहत मैडीकल आक्सीजन सिलेण्डर स्टोर करने के लिये पात्र है।